

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
(अम्बेडकर नगर, गोण्डा, गाजियाबाद, हरदोई, सिद्धार्थ नगर, बस्ती,
संत कबीर नगर एवं आजमगढ़ को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: जी0ओ0-31/कार्य0/पेयजल/2007-08

दिनांक: 31, मार्च, 2008

विषय:- वित्तीय वर्ष 2007-08 में ग्रामीण पेयजल योजना (अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक) के अन्तर्गत ग्रामीण जलापूर्ति के निर्माण कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-242/26-ब0प्र0-2008-2(बजट)/2007टी0सी0-2 दिनांक 31-3-2008 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक में ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि में से रू0 80.00 (रू0 अस्सी करोड़ मात्र) की धनराशि आयुक्त, ग्राम्य विकास के निस्तारण पर रखी गयी है। इस धनराशि में से रू0 5223.4685 लाख (रू0 वावन करोड़ तेईस लाख छियालिस हजार आठ सौ पचास मात्र) की धनराशि संलग्न शासनादेश के कॉलम-7 के अनुसार के कॉलम-3 के अनुसार आपको आंबटित की जाती है।

3- उक्त आवंटन का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक -2215-जलपूर्ति तथा सफाई-आयोजनागत-01-जलपूर्ति-102-ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम-03-ग्रामीण पेयजल योजना-20-सहायक अनुदान/अंशदान-राज्य सहायता के नामें डाला जायेगा।

4- जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आवंटित धनराशि का आहरण एवं व्यय शासनादेश संख्या-242/26-ब0प्र0-2008-2बजट/2007टी0सी0-2 दिनांक 31-3-2008 में अंकित प्रतिबन्धों क्रमांक 1 से 6 तक तथा योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय निर्गत दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये करें एवं आहरित धनराशि की सूचना कोषागार बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5- उक्त आवंटन केन्द्रीय रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-114 पर अंकित कर दिया गया है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(मनोज कुमार सिंह)

आयुक्त,


ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

2

पत्रांक: जी.ओ.31/कार्य0/पेयजल/2007-08 दिनांक: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 4- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, जल निगम, लखनऊ।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
- 8- नियोजन अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
- 9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2।
- 10- संयुक्त सचिव, उ0प्र0शासन, बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण को उनके आंबटन आदेश सं0 242/26-ब0प्र0-2008-2बजट/2007टी0सी0-2 दिनांक 31-3-2008 के संदर्भ में।



(अवधेश कुमार)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

2

प्रेषक,

राम गणेश,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण

लखनऊ : दिनांक: 31 मार्च, 2008

विषय:- वर्ष 2007-08 में ग्रामीण पेयजल योजना (अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक) के अन्तर्गत ग्रामीण जलापूर्ति के निर्माण कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-174(अ)/26-ब0प्र0-2007, दिनांक 14.6.2007 एवं शासनादेश संख्या-434/26-ब0प्र0-2007, दिनांक 23.11.2007 का सन्दर्भ ग्रहण कष्ट करें जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के निर्माण कार्यों हेतु क्रमशः ₹ 35.00 करोड़ एवं ₹ 35.00 करोड़ अर्थात् कुल ₹ 70.00 करोड़ (₹ 0 सत्तर करोड़ मात्र) की धनराशि स्वीकृत की गयी है। उक्त के क्रम में मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) उ0प्र0 जल निगम के पत्र संख्या-8/2042-0023/08, दिनांक 8.1.2008 द्वारा योजनान्तर्गत ₹ 80.00 करोड़ में से ₹ 52,23,46,850/- का संलग्न जनपदवार फॉट के अनुसार निर्माण कार्यों (हैण्डपम्प अधिष्ठापन) हेतु एवं ₹ 20,24,58,150/- ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रख-रखाव एवं अनुरक्षण कार्यों में व्यय करने हेतु कुल ₹ 72,48,05,000/- (₹ 0 बहत्तर करोड़ अडतालिस लाख पाँच हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखे जाने तथा चुनाव आचार संहिता से आच्छादित जनपदों के लिये निर्माण कार्यों (हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु) हेतु ₹ 5,26,53,150/- एवं ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रख-रखाव एवं अनुरक्षण कार्यों हेतु ₹ 2,25,41,850/- कुल ₹ 7,51,95,000/- (₹ 0 सात करोड़ इक्कावन लाख पन्चानबे हजार मात्र) आहरित कर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ के पी0एल0ए0 में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1- मुख्य चुनाव आयोग द्वारा घोषित उप चुनाव 2008 के दृष्टिगत उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि में से जनपद गाजियाबाद, हरदोई, अम्बेडकरनगर, गोण्डा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संतकबीरनगर एवं आजमगढ़ के लिये स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के पी0एल0ए0 में रखी जायेगी और चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त स्वीकृत कार्य/योजना पर व्यय की जायेगी ।
- 2- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग/व्यय एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा । पन्द्रह प्रतिशत अनुरक्षण मद में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग/व्यय एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 मद से स्थापित / संचालित योजनाओं के लिये ही किया जायेगा । इससे इतर इस धनराशि से किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा ।
- 3- उक्त स्वीकृति राज्य योजना आयोग-2, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-10/7/35- आ0-2/97-113, दिनांक 09.07.07 में निहित व्यवस्था के क्रम में निर्गत किया जा रहा है ।
- 4- निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-434/26-ब0प्र0-2007-2(बजट)/2007 टी0सी0-2 दिनांक 23.11.2007 में उल्लिखित सभी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के क्रम में सुनिश्चित किया जाय ।
- 5- ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रख-रखाव एवं अनुरक्षण हेतु मात्राकृत धनराशि ₹ 22,50,00,000/- में से उत्तर प्रदेश जल निगम को एवं झांसी डिवीजन जल संस्थान झांसी व चित्रकूट धाम मण्डल जल संस्थान बांदा को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा। इस धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-275-अ/26-ब0प्र0-06-2(बजट)/2006 दिनांक 15.4.2006 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस धनराशि का व्यय ग्रामीण पेयजल योजनाओं के अनुरक्षण एवं रख-रखाव पर ही किया जाय, जिन ग्रामीण पेयजल योजनाओं के अनुरक्षण का दायित्व पंचायतों का है, उस पर इस धनराशि का व्यय न किया जाय ।

मुख्य अभियन्ता एवं अभियन्ता (अनुसूचित जाति)
31/03/08 10:30 AM
(अनुसूचित जाति विभाग)

31/3/08

6- शासनादेश दिनांक 9 अप्रैल, 2007 तथा दिनांक 8 मई, 2007 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनार्थे परीक्षण/सत्यापन हेतु समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

2- उक्त स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-“2215-जलपूर्ति तथा सफाई-आयोजनागत-01-जलपूर्ति-102-ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम-03-ग्रामीण पेयजल योजना-20-सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता” के नामें डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-656/दस-2008, दिनांक 13 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नकः यथोक्त ।

भवदीय,

(राम गणेश)

संयुक्त सचिव ।

संख्या- 242 (1)/26-ब0प्र0-2008-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 3- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 लखनऊ ।
- 6- महाप्रबन्धक, चित्रकूट धाम मण्डली जल संस्थान, बांदा ।
- 7- महाप्रबन्धक, झांसी डिवीजन जल संस्थान, झांसी ।
- 8- नियोजन अनुभाग-3/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2
- 9- कम्प्यूटर/गार्डफाइल/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ ।

आज्ञा से,

(आर0डी0 कल्याण)

अनु सचिव ।

गौतमी नदी एच.एच. - 242/26-एच.एच. - 08, दि. 31 मार्च, 08 का हेलतपाक /

ग्रामीण जल सम्युक्ति एवं जलोत्सारण योजना - स्प्रेडल कम्पौनेन्ट प्लान (एच.सी.पी.)

वर्ष

2007-08

क्रम	कोड	जनपद/ मण्डल	स्वीकृत बजट को फॉर		स्वीकृत धनराशि		अनुमानित में स्वीकृत को व. हों धनराशि
			कुल	निर्माण/अनुसंधान हेतु	174अ/26ब दि. 14.06.07	434/26ब दि. 23.11.07	
1		2	3	4	5	6	7
1	3101	सहारनपुर	305.25	259.46	62.21	74.64	122.61
2	3102	मुजफ्फरनगर	171.62	145.88	24.02	46.11	75.75
		सहारनपुर मंडल	476.87	405.34	86.23	120.75	198.36
3	3103	बिजनौर	318.28	270.54	26.24	92.44	151.86
4	3104	मुरादाबाद	230.51	195.93	18.07	67.30	110.56
5	3105	रामपुर	139.27	118.38	14.52	39.30	64.56
6	3106	ज्योतिबापूल नगर	116.39	98.93	12.68	32.64	53.61
		मुरादाबाद मंडल	804.45	683.78	71.51	231.68	380.59
7	3107	मेरठ	122.18	103.85	28.36	28.56	46.93
8	3108	बागपत	39.96	33.97	10.19	9.00	14.78
9	3109	गाजियाबाद	194.79	165.57	51.18	43.28	71.11
10	3110	गौतमबुद्ध नगर	95.45	81.13	27.93	20.13	33.07
11	3111	बुलन्दशहर	206.79	175.77	106.50	26.21	43.06
		मेरठ मंडल	659.17	560.29	224.16	127.18	208.95
12	3112	अलीगढ़	205.84	174.96	55.91	45.05	74.00
13	3113	महामावानगर (हाथरस)	188.00	159.80	61.26	37.29	61.25
14	3114	मथुरा	253.51	215.48	41.41	65.86	108.21
15	3115	आगरा	402.94	342.50	170.18	65.20	107.12
16	3116	फिरोजाबाद	179.44	152.52	17.23	51.19	84.10
17	3117	एटा	166.06	141.15	42.62	37.28	61.25
18	3118	मैनपुरी	92.89	78.96	18.02	23.06	37.88
		आगरा मंडल	1488.68	1265.37	406.63	324.93	533.81
19	3119	बदायूं	162.39	138.03	42.55	36.13	59.35
20	3120	बरेली	154.92	131.68	59.54	27.30	44.84
21	3121	पौलीभीत	96.24	81.80	7.94	27.95	45.91
22	3122	शाहजहाँपुर	129.76	110.30	37.82	27.42	45.06
		बरेली मंडल	543.31	461.81	147.85	118.80	195.16
23	3123	खीरी	239.40	203.49	18.84	69.87	114.78
24	3124	सीतापुर	414.64	352.45	49.95	114.46	188.04
25	3125	हरदोई	403.31	342.81	35.91	116.12	190.78
26	3126	उन्नाव	300.52	255.44	71.86	69.46	114.12
27	3127	लखनऊ	255.78	217.41	70.26	55.68	91.47
28	3128	रायबरेली	405.99	345.09	76.27	101.72	167.10
		लखनऊ मंडल	2019.64	1716.69	323.09	527.31	866.29
29	3129	फर्रुखाबाद	69.28	58.89	23.27	13.48	22.14
30	3130	कन्नौज	105.82	89.95	54.18	13.53	22.24
31	3131	इटावा	160.69	136.59	45.14	34.60	56.85
32	3132	औरैया	108.93	92.59	27.32	24.70	40.57
33	3133	कानपुर देहात	227.78	193.61	54.78	52.53	86.30
34	3134	कानपुर नगर	247.16	210.09	71.41	52.47	86.21
		कानपुर मंडल	919.66	781.72	276.10	191.31	314.31
35	3135	जालौन	156.24	132.80	66.18	25.21	41.41
36	3136	झाँसी	196.69	167.19	40.49	47.94	78.76
37	3137	ललितपुर	209.12	177.75	42.45	51.19	84.11
		झाँसी मंडल	562.05	477.74	149.12	124.34	204.28

(अवधीन हुतार)
 अपर आकृष्ट (लेखा)
 ग्राम्य विकास, उ०प्र०

